

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 996 दिनांक:- 28/9/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपूरा (टंडवा) से गया तक 400 के०भी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे० (चतरा उत्तरी-61.772 हे०, चतरा दक्षिणी-119.8806 एवं लातेहार-15.3589 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 696 दिनांक 20.09.2022 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 765 दिनांक 20.09.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/Trans/41236/2019 हेतु कुल 197.0115 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की प्रत्येक वन प्रमंडल से पाँच-पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। इस परियोजना की ट्रान्समिशन लाईन तीन वन प्रमंडलों क्रमशः चतरा दक्षिणी, चतरा उत्तरी एवं लातेहार वन प्रमंडल से होकर गुजरेगी। उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों से प्राप्त वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चतरा एवं वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना कुल तीन वन प्रमंडल क्रमशः चतरा दक्षिणी, चतरा उत्तरी एवं लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल 320.804 हे० भूमि की आवश्यकता है जिसमें 197.0115 हे० वनभूमि एवं 123.7925 हे० गैर वनभूमि शामिल है।
3. इस परियोजना में कुल 197.0115 हे० वनभूमि अन्तर्गस्त है, जिसमें 47.8156 हे० जंगल-झाड़ एवं 149.1959 हे० अधिसूचित वनभूमि है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	लातेहार	8.5899	6.769	15.3589	0.6
2	चतरा दक्षिणी	88.677	31.2036	119.8806	0.8
3	चतरा उत्तरी	51.929	9.843	61.772	0.5
कुल - 03		149.1959	47.8156	197.0115	

5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।

6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि की विस्तृत विवरणी/मौजावार/रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है।

Villages wise breakup					
S.no	District	DIVISION	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	LATEHAR	LATEAHR	PHULBASIA ALIAS AMARWADIH	3.653	4.1919
2			CHARRA	1.692	5.9558
3			RAHEA	2.19	4.804
4			BARWADIH	1.341	3.3285
5			BESRA	5.4739	3.8828
6			KUSAMHA	0.264	2.2946
7			BHATCHATRA	0.144	3.0478
8			MAKRA	0	4.5982
9			SIBLA	0.601	9.8376
			Total	15.3589	41.9412
10	CHATRA	CHATRA SOUTH	KASIYATU	11.093	4.4217
11			KASARI	2.476	1.2767
12			NAWADA	0	4.6482
13			KENDU	4.231	8.0932
14			DUNDUA	2.211	3.1556
15			BAGRA	1.627	8.4325
16			BELGARA	0.529	0.001
17			KUTHAN	8.626	1.5651
18			BAKSI	6.752	1.169
19			LAMTA	1.556	7.72
20			JOGIADIH	6.846	0.015
21			BHAGNADIH	5.777	0.104
22			MANATU	1.47	1.586
23			BARHGAON	0.765	2.24
24			PHERENDA	0	1.4851
25			BHANG	4.661	4.007
26			KORCHA	1.462	0.004
27			GULHUTU	2.04	0.004
28			PARBAT ALIAS BARAHMANA	9.79	2.922
29			AMBADIH	1.099	0
30			GERI	3.5526	3.31
31			GHURNADIH	1.161	0.099
32			NARTAMA	1.012	0.642
33			KARMA	2.806	1.467
34			SURUJ	4.596	0.982
35			LARKUA	5.873	0.013
36			SANGHRI	11.057	1.437
37			DARHA	9.605	0.071
38			SIKID	7.207	0.317
			Total	119.8806	61.1881

39	CHATRA	CHATRA NORTH	POSTIA	12.659	5.6501
40			BANDATAR	2.69	0.0059
41			DEMDEM	4.15	0.6512
42			DHOBEY	0	0.5106
43			PAINI KALAN	6.508	6.1835
44			PAINI KHURD	0.306	0.6317
45			KETARIBAR	1.415	0.1424
46			JHAGARTARI	4.401	0.209
47			BANIADIH	2.555	0.5874
48			CHITUA	5.443	0.0382
49			RAHARBAR	3.086	0.0456
50			HALWARIA	3.685	2.8656
51			BAIJNATHPUR	0.171	0
52			KASDABAR	0.344	2.5143
53			GAIGHAT	1.946	0.578
54			BEDAULI	7.793	0.0396
55			KOLWA	4.62	0.0101
			Total	61.772	20.6632
Grand Total				197.0115	123.7925

7. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी, चतरा उत्तरी एवं लातेहार वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही अलग-अलग संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है। (अनु0-चतरा दक्षिणी Vol-1-3, चतरा उत्तरी 1C, लातेहार 1C)
8. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है (प्रस्ताव के मुख्य पृष्ठ पर द्रष्टव्य)
9. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। (अनु0-चतरा दक्षिणी Vol-2-1, चतरा उत्तरी 2, लातेहार 2)
10. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रान्समिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है। (अनु0-चतरा दक्षिणी Vol-2-2, चतरा उत्तरी 3, लातेहार 13)
11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। (अनु0-चतरा दक्षिणी Vol-1-17, चतरा उत्तरी 15, लातेहार 12)
12. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। (अनु0-चतरा दक्षिणी Vol-1-24, चतरा उत्तरी 22, लातेहार 8)
13. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा अपने पार्ट-II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार तीनों वन प्रमंडलों में Transmission line संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 20879 है। (अनु0-चतरा दक्षिणी Vol-1-3, चतरा उत्तरी 1C, लातेहार 1C)
14. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है। (अनु0-चतरा दक्षिणी Vol-1-13, चतरा उत्तरी 11, लातेहार 3)
15. इस परियोजना में प्रस्तावित कुल 47.8156 हे० जंगल-झाड़ भूमि उपयोग हेतु चतरा उत्तरी/दक्षिणी वन प्रमंडल हेतु आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग का पत्रांक 1310 दिनांक 22.10.2021 द्वारा 37.2816 हे० हेतु, उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 64 दिनांक 17.01.2022 द्वारा 3.765 हे० हेतु एवं लातेहार प्रमंडल हेतु उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 108 दिनांक 04.02.2021 द्वारा 6.769 हे० हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है (अनु0-चतरा दक्षिणी Vol-1-12, चतरा उत्तरी 8, लातेहार 4)
16. प्रस्ताव के साथ FRA 2006 के तहत उपायुक्त, चतरा का पत्रांक 62 दिनांक 17.01.2022 द्वारा 181.6526 हे० हेतु एवं उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 09 दिनांक 13.08.2021 द्वारा 15.3589 हे० हेतु कुल 197.0115

हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र एवं इस क्रम में आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति के साथ संलग्न है (अनु०-चतरा दक्षिणी Vol-1-11, चतरा उत्तरी 7, लातेहार 9)।

17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है (अनु०-चतरा दक्षिणी Vol-1-19-20, चतरा उत्तरी 16-17, लातेहार 5-14)
18. वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी, चतरा उत्तरी एवं लातेहार द्वारा अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर किसी भी प्रकार के violation नहीं किये जाने की सूचना दी गई है।
19. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीनों वन प्रमंडलों में अपयोजन होने वाली प्रस्तावित कुल 197.0115 हे० वनभूमि के दो गुणे 394.023 हे० अवकृष्ट वन भूमि के विरुद्ध कुल 394.7178 हे० अवकृष्ट वन भूमि का चयन चतरा दक्षिणी/चतरा उत्तरी/लातेहार वन प्रमंडल में किया गया है, जो प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र०	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम	थाना/थाना नं०	प्लॉट सं०	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे०
1	लातेहार	लटदाग	बालुमाथ / 253	416,421,429	30.7178
2	चतरा दक्षिणी	आरुदाना	चतरा / 235	1(P),2(P),25(P),26(P)	40.00
		पर्वताअलियश ब्राह्मणा	चतरा / 213	306(P),308(P)	48.00
		तेतरिया	गिद्धौर / 66-235	1445(P),1446(P),1447(P)	50.00
		दहुरी	चतरा / 304	2304(P),2290(P),2289(P),2291(P)	102.00
3	चतरा उत्तरी	गोपालपुर एवं बाघमंदवा	हंटरगंज / 61 एवं 38	1(P),3(P),1,8,9(P),10(P),11,12,13	124 हे०
कुल :-					394.7178 हे०

20. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी/चतरा उत्तरी एवं लातेहार वन प्रमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है (अनु०-चतरा दक्षिणी Vol-1-6, चतरा उत्तरी 1E-27, लातेहार 5A)।
21. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
22. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
23. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।

तीनों वन प्रमंडलों से संबंधित प्रस्ताव की तीन-तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 197.0115 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड, राँची का वर्तमान में पद रिक्त रहने के कारण प्रस्ताव सीधे राज्य सरकार को अग्रतर कार्यवाही हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अनु०:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव:

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल दो Vol तीन प्रतियों में।

चतरा उत्तरी वन प्रमंडल तीन प्रतियों में।

लातेहार वन प्रमंडल तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

 28.09.22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Construction of 400/KV D/C North Karanpura to Gaya Transmission Line 197.0115 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 197.0115 ha Forest land

Date :- 28.09.2022

Place :- Ranchi

Signature



28.09.2022

(Sanjay Srivastava)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)